

श्रम अनुभाग-3, अधिसूचना संख्या 219(V){74-5—99(V)-74, दिनांक 19 अप्रैल, 1975, प्रकाशित उत्तर प्रदेश राजपत्र, भाग 1-ए, दिनांक 19 अप्रैल, 1975, पृष्ठ 967 का अंग्रेजी अनुवाद।

बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 (अधिनियम संख्या 32, 1966) की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (अधिनियम संख्या IV, 1936) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधान, उन प्रतिष्ठानों या प्रतिष्ठानों के किसी भी वर्ग के कर्मचारियों पर लागू होंगे जिन पर बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 लागू होता है।